

## सरकारी योजनाएं: श्रम और रोजगार मंत्रालय

| योजना                                   | उद्देश्य  | याद रखने योग्य कुछ बिंदु   |
|---|---|--|
| दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम | भारत में उद्योगों के विकास और श्रम सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना।   | <ul style="list-style-type: none"> <li>एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल:</li> <li>लगभग छह लाख इकाइयों को श्रम पहचान संख्या (LIN) आवंटित करना और उन्हें 44 श्रम कानूनों में से 16 के साथ ऑनलाइन अनुपालन दायर करने में सक्षम बनाना।</li> <li>निरीक्षण के लिए इकाइयों के यादृच्छिक चयन के लिए पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना:</li> <li>निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के लिए इकाइयों के चयन में मानव निर्णय को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य है।</li> <li>EPF लाभार्थी को सार्वभौमिक खाता संख्या आवंटित की जाती है जो भविष्य निधि खाते को पोर्टेबल और सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाती है।</li> </ul> |
| प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना    | इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह श्रम और कार्य मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से पेश किया जा रहा है।</li> <li>इस योजना के तहत, 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद, 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के साथ, EPFO के साथ नामांकित किए गए नए कर्मचारियों के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार 12 प्रतिशत पूर्ण नियोक्ता के योगदान (श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और सेवानिवृत्तों के लिए पेंशन योजना दोनों के लिए) का भुगतान करती है।</li> <li>पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन है, और आधार (AADHAR) बिना किसी मानव हस्तक्षेप के योजना के एप्लीकेशन पर आधारित है।</li> </ul>  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना</p>                          | <p>उद्देश्य बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है।<br/>हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना।</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना का समग्र उद्देश्य लक्षित क्षेत्र में एक उत्साहजनक माहौल बनाना है जहां बच्चों को विद्यालयों में काम करने से बचने और नामांकित होने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों से प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है, और परिवारों को उनकी आय के स्तर को बढ़ाने के लिए विकल्प दिए जाते हैं।</li> </ul>  |
| <p>बाल श्रम निषेध प्रभावी प्रवर्तन प्लेटफार्म (PENCIL) पोर्टल</p> | <p>इसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त भारत के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो विधायी प्रावधानों के प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के प्रभावी कार्यान्वयन दोनों के लिए कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र को समेकित रूप से एकीकृत करेगा।</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बाल श्रम और तस्करी के खतरे से निपटने के लिए केंद्र को राज्य सरकार, जिले और सभी परियोजना समितियों से जोड़ता है।</li> <li>इसके पाँच घटक हैं - बाल ट्रेकिंग प्रणाली, शिकायत कॉर्नर, राज्य सरकार, NCLP, और संमिलन।</li> </ul>   |
| <p>राष्ट्रीय कैरियर सेवा</p>                                      | <p>लक्ष्य उन दोनों के बीच के अंतराल को पाटना है, जिन्हें काम की आवश्यकता है और जो उन्हें भर्ती करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच जिन्हें कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और जो सलाह और प्रशिक्षण की पेशकश कर सकते हैं।</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा का रूपांतरण है जैसे कि नौकरी मैचिंग, करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि, जो कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पेश किए जाते हैं।</li> <li>इस योजना में आईटी अपग्रेडेशन के साथ-साथ रोजगार कार्यालयों के मामूली नवीनीकरण और नौकरी मेलों के आयोजन के लिए राज्यों को धन मुहैया कराने का भी प्रावधान है।</li> </ul> |
| <p>अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना</p>                             | <p>इसका उद्देश्य "बदलते रोजगार पैटर्न" के कारण भटकते बेरोजगारों को</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अनुमोदित एक योजना है जिसका उद्देश्य अपने उन ग्राहकों, जो मुख्य रूप से</li> </ul>  |



|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
|                                    | बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है।                       | औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं और जो किसी भी कारण से बेरोजगार हो गए हैं, को बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से नकद प्रदान करके लाभान्वित करना है।   |
| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना | इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को पेंशन प्रदान करना है | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>पेंशन:</b> उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की आश्वासित पेंशन प्राप्त होगी।</li><li>• पेंशन की प्राप्ति के दौरान मृत्यु की स्थिति में, उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में अर्जित पेंशन का 50 प्रतिशत अर्जित करने का अधिकार होगा।</li><li>• 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने की स्थिति में, उसका जीवनसाथी मासिक योगदान का भुगतान करके योजना में प्रवेश करने और उसे जारी रखने या निकास और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना को छोड़ने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए है।</li><li>• <b>ग्राहक द्वारा योगदान:</b> उसके लिए PM-SYM योजना में शामिल होने से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित योगदान राशि का योगदान करना आवश्यक है।</li><li>• <b>केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान:</b> PMSYM, 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहाँ निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान लाभार्थी द्वारा और समान योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।</li></ul> |

